

WTO का 13वाँ मंत्रसितरीय सम्मेलन

यह एडिटरियल 05/03/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Tepid trade-offs: On the WTO 13th Ministerial Conference \(MC13\) in Abu Dhabi”](#) लेख पर आधारित है। इसमें हाल ही में अबू धाबी में आयोजित WTO के 13वें मंत्रसितरीय सम्मेलन (MC) से उभरे महत्त्वपूर्ण परिणामों और संबंधित चुनौतियों पर विचार किया गया है।

प्रलमिस के लिये:

[वशिव व्यापार संगठन](#), [WTO मंत्रसितरीय सम्मेलन](#), [ट्रपिस समझौता](#), [कोवडि-19](#), [बौद्धिक संपदा अधिकार \(IPR\) व्यवस्था](#), [मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता \(AFS\)](#), [वशिव और वभिदक उपचार \(S&D\)](#), [अल्प वकिसति देश \(LDC\)](#), [हरति जलवायु कोष](#)

मेन्स के लिये:

13वें WTO] मंत्रसितरीय सम्मेलन के मुख्य परिणाम, वशिव व्यापार संगठन (WTO) की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाली चुनौतियों, वशिव व्यापार संगठन के संबंध में भारत की चिंताएँ।

हाल ही में [वशिव व्यापार संगठन](#) (World Trade Organization- WTO) का 13वाँ मंत्रसितरीय सम्मेलन (MC13) संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वभिनिन देशों के मंत्रियों ने विकास के वभिनिन स्तरों और अलग-अलग भू-राजनीतिक दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण वषियों की एक वसितृत शृंखला—जनिमें खाद्य सुरक्षा, ई-कॉमर्स, मात्स्यिकी सब्सिडी, WTO सुधार, सेवाओं के घरेलू वनियमन एवं नविश को सुवधिजनक बनाने सहति वभिनिन वषिय शामिल थे—को संबोधित करने के लिये बैठकें कीं।

वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियों से निपटने के प्रयासों और इस क्रम में सुदीर्घ चर्चाओं के बावजूद इस दशा में न्यूनतम प्रगति के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

WTO मंत्रसितरीय सम्मेलन क्या है?


परचिय:

- [WTO मंत्रसितरीय सम्मेलन](#) वशिव व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है।
- यह वशिव व्यापार संगठन के सर्वोच्च नरिणयकारी नकियाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आम तौर पर प्रत्येक दो वर्ष पर किया जाता है।

उद्देश्य:

- WTO की गतिविधियों एवं वार्ताओं के लिये एजेंडा नरिधारित करना
- बाज़ार पहुँच, सब्सिडी और वविद समाधान जैसे वभिनिन व्यापार-संबंधित वषियों पर चर्चा एवं वार्ता का आयोजन करना
- वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये नीतियाँ बनाना
- व्यापार नियमों और वनियमों पर सदस्य देशों के बीच समझौतों को सुवधिजनक बनाना
- सम्मेलन में ऐसे समझौते संपन्न हो सकते हैं या ऐसी घोषणाएँ की जा सकती हैं जो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं
- सम्मेलन के दौरान चहिनति वशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिये कार्ययोजनाओं का विकास करना।

Structures of WTO



WTO के 13वें मंत्रसितरीय सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

■ सदस्यता ग्रहण:

- भागीदार मंत्रियों ने दो सबसे कम विकसित देशों- [कोमोरोस](#) और [तमोर-लेसोते](#) के लिये विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता का समर्थन किया। उनके शामिल होने के साथ इससे संगठन की सदस्य संख्या अब 166 हो गई है, जो विश्व व्यापार के 98% भाग का प्रतिनिधित्व करती है।

■ विचार-विमर्श और समझौता वार्ता कार्यक्रम में सुधार:

- MC13 में मंत्रियों ने नमिन्लखित विषयों में हुए कार्यों का स्वागत किया:
 - WTO परषदों, समितियों और वार्ता समूहों की कार्यप्रणाली में सुधार;
 - संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना; और
 - विश्व व्यापार संगठन के कार्य में सदस्यों की भागीदारी को सुगम बनाना।
- उन्होंने अधिकारियों को 'रिफॉर्म बाय डूइंग' (reform by doing) प्रक्रिया को जारी रखने और 14वें मंत्रसितरीय सम्मेलन (MC14) में इसकी प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
- MC13 में मंत्रियों ने वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिये सुलभ एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद नपिटान प्रणाली प्राप्त कर लेने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

■ ई-कॉमर्स:

- MC13 में मंत्रियों ने ई-कॉमर्स मोरेटोरियम (e-commerce moratorium) को MC14 या 31 मार्च 2026 तक (इनमें जो भी पहले हो) नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।

■ ट्रेडिंस गैर-उल्लंघन और परदृश्य शिकायतें (TRIPS Non-Violation and Situation Complaints):

- एक निर्णय में, जसि प्रायः ई-कॉमर्स मोरेटोरियम (e-commerce moratorium) से जोड़ा गया है, मंत्रियों ने [ट्रेडिंस समझौते](#) (TRIPS Agreement) के तहत तथाकथित 'गैर-उल्लंघन' और 'परदृश्य' शिकायतों पर मोरेटोरियम का वसितार करने का भी निर्णय लिया।
- ऐसी शिकायतें अनयथा सदस्यों को WTO विवाद नपिटान तंत्र में ऐसे IP संबंधी उपायों को चुनौती देने की अनुमति देंगी जो ट्रेडिंस दायित्वों के साथ असंगत नहीं हैं, लेकिन फरि भी समझौते से अपेक्षित लाभ को कम कर देते हैं।

■ कोवडि-19 से संबंधित ट्रेडिंस छूट:

- MC12 में मंत्रियों ने विशेष नियम अपनाए थे जसिसे कोवडि-19 टीकों के उत्पादन के लिये अनविर्य लाइसेंस की उपलब्धता का वसितार हुआ। उन्होंने इस बात पर भी वार्ता का अधदिश दिया कि इन विशेष नियमों के उत्पाद कवरेज को कोवडि-19 डायग्नोस्टिक्स एवं थेरेप्यूटिक्स तक वसितारित किया जाए या नहीं।
- MC13 में मंत्रियों ने संपन्न हुए कार्यों और **उत्पाद के दायरे के वसितार पर आम सहमति की कमी** पर भी ध्यान दिया। तदनुसार, ये विशेष नियम कोवडि 19 डायग्नोस्टिक्स एवं थेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिये अनविर्य लाइसेंसिग पर लागू नहीं होंगे।

■ विशेष एवं वभिदक उपचार:

- मंत्रियों ने ['विशेष एवं वभिदक उपचार'](#) (Special and Differential Treatment- S&DT) उपबंधों के उपयोग में सुधार करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से 'व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते' (Agreement on Technical Barriers to Trade) और

‘सवचछता एवं पादप सवचछता उपायों पर समझौते’ (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) के मामले में ।

■ **बहुपक्षीय समझौते एवं पहलें:**

- **WTO की बहुपक्षीय पहलें** (Plurilateral Initiatives) संगठन में आयोजित वे वचिार-वमिर्श हैं जनिमें केवल सदस्यों का एक उपसमूह भागीदारी करता है । वे नए नयिमों के नरिमाण, टैरफि के पारस्परिक उदारीकरण को सुनश्चिति करने, एक नई प्रक्रिया का नरिमाण करने या बातचीत शुरू करने पर लक्षति हो सकते हैं ।
- MC13 में ऐसे कई बहुपक्षीय पहलों पर समझौते संपन्न हो गए या उन्होंने महत्त्वपूर्ण कषेत्रों में अपने कार्य के परिणामों पर रपिर्ट सौपी ।
- इनमें एक महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल **वकिस के लयि नविश सुवधा** (Investment Facilitation for Development- IFD) से संबधति है ।

■ **सेवाओं का घरेलू वनियमन:**

- घरेलू वनियमन के लयि नए वषियों को लागू करने और उन्हें WTO ढाँचे में एकीकृत करने पर हुए समझौते को MC13 की एक व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण उपलब्धति के रूप में देखा गया है ।
- इन वषियों को नयामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति और सरल बनाकर सेवाओं में व्यापार को सुगम बनाने के लयि डज़ाइन कयिा गया है ।

■ **संवहनीयता-संबंधी पहल:**

- सदस्य देश संवहनीयता-संबंधी पहलों (Sustainability-Related Initiatives) की एक शृंखला पर कार्य करने के लयि वभिन्नि समूहों के रूप में एक साथ आए हैं ।
- 78 सदस्यों की एक पहल **‘प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्लास्टिक व्यापार पर संवाद’** (Dialogue on Plastics Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade) ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लयि व्यापार और व्यापार से संबधति उपायों एवं नीतियों की पहचान की ।
- 48 सदस्यों ने **जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार** की दशिा में प्रगति पर रपिर्ट सौपी ।

■ **मात्स्यिकी सब्सिडी:**

- MC12 में सदस्यों ने **मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता** (Agreement on Fisheries Subsidies- AFS) संपन्न कयिा, जो **अवैध, असुचिति एवं अनयिमति** (illegal, unreported, and unregulated- IUU) मत्स्य ग्रहण या ओवरफिशिड स्टॉक के मत्स्य ग्रहण से संलग्न नकियों को सब्सिडी अनुदान प्रदान करने या इसे बनाए रखने पर रोक लगाता है ।
- MC13 में मंत्रियों ने AFS के लागू होने की दशिा में पछिले 20 माहों में हुई प्रगति का स्वागत कयिा । 1 मार्च 2024 तक 71 सदस्यों ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है ।



वर्तमान में कौन-सी चुनौतियाँ WTO की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रही हैं?

■ **बहुपक्षीयता का कषरण:**

- हाल के वर्षों में **व्यापार वविादों में वृद्धि** और **एकतरफा व्यापार कार्रवाइयों के उभार** के साथ बहुपक्षीयता (multilateralism) का उल्लेखनीय कषरण हुआ है ।
- यह प्रवृत्ति व्यापार संघर्षों को सुलझाने और व्यापार समझौतों पर वार्ता के सार्थक मंच के रूप में WTO की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है ।

- MC13 मातृस्यकि सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रगतिकरणे में वफिल रहा, जो 166 सदस्य देशों के बीच गंभीर मतभेद को दर्शाता है।
- **संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध:**
 - टैरिफि, कोटा एवं अन्य व्यापार बाधाओं का प्रसार मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर करता है तथा नयिम-आधारित व्यापार प्रणाली के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
 - उदाहरण के लिये, **अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वविाद** ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को तनावपूर्ण बना दिया है और WTO की मध्यस्थता तथा ऐसे संघर्षों को हल कर सकने की क्षमता को चुनौती दी है।
- **वविाद नपिटान तंत्र संकट:**
 - WTO का वविाद नपिटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism), जसिे प्रायः संगठन का 'मुकुट रत्न' माना जाता है, को हाल के वर्षों में संकट का सामना करना पड़ा है।
 - व्यापार वविादों पर नरिणय लेने के लिये ज़मिमेदार अपीलीय नकियाय, **नकियाय में नई नयुिकतयिों पर अमेरिका के व्यवधान** के कारण नषिकरयि हो गया है।
 - एक कार्यशील वविाद नपिटान तंत्र की अनुपस्थिति बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भरोसे को कम करती है और एकपक्षीयता को प्रोत्साहित करती है।
- **वकिस अंतराल और वशिष एवं वभिदक व्यवहार:**
 - वकिसशील देशों को लचीलापन एवं सहायता प्रदान करने पर लक्षति **वशिष एवं वभिदक उपचार (S&D)** के सिद्धांत के बावजूद, व्यापार वार्ता में प्रभावी ढंग से भाग लेने और व्यापार-संबंधी सुधारों को लागू करने की उनकी क्षमता में असमानताएँ बनी हुई हैं।
 - **अल्प-वकिसति देशों ((LDCs)** के पास प्रायः व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक संसाधनों एवं तकनीकी सहायता की कमी होती है, जसिसे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार हाशयि पर बने रहते हैं।
- **डजिटिल व्यापार और ई-कॉमर्स:**
 - डजिटिल व्यापार और ई-कॉमर्स की तीव्र वृद्धि WTO के लिये अवसर और चुनौतियिों दोनों प्रस्तुत करती है। जबकि डजिटिल प्रौद्योगकियिों में व्यापार दक्षता बढ़ाने और आर्थिक वकिस को सुवधिजनक बनाने की क्षमता है, वे ऐसे **नयनियामक एवं नीतगित मुद्दे भी खड़े करते हैं जो पारंपरिक व्यापार समझौतों के दायरे से बाहर हैं।**
 - WTO को सभी सदस्य देशों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करते हुए डजिटिल व्यापार की उभरती प्रकृति को समायोजित करने के लिये अपने नयिमों एवं समझौतों को अनुकूलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- **पर्यावरण और संवहनीयता संबंधी चतिाएँ:**
 - WTO को अपने व्यापार नयिमों और समझौतों में **पर्यावरण एवं संवहनीयता संबंधी वचिारों** को शामिल करने के लिये लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव वविधिता हानि और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियिों का वैश्विक व्यापार स्वरूपों एवं अभ्यासों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
 - **व्यापार उदारीकरण लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करने** के लिये आर्थिक वकिस और पर्यावरणीय संवहनीयता दोनों को बढ़ावा देने वाले नयिम वकिसति करने के लिये WTO सदस्यों के बीच नवोनमेषी दृष्टिकोण एवं सहयोग की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थय और दवाओं तक पहुँच:**
 - कोवडि-19 महामारी ने व्यापार नीति में सार्वजनिक स्वास्थय संबंधी वचिारों के महत्त्व को उजागर कयिा। **ससती दवाओं और चकितिसा आपूर्तति तक पहुँच अब एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है,** वशिष रूप से वकिसशील देशों के लिये जो आवश्यक स्वास्थय देखभाल उत्पादों की खरीद में चुनौतियिों का सामना कर रहे हैं।
 - WTO को वशिष रूप से सार्वजनिक स्वास्थय आपात स्थतियिों के दौरान सभी के लिये दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ **बौद्धिक संपदा अधकियारों के बीच सामंजस्य बठाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।**
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:**
 - हालाँकि कृषि पर WTO वषियों को अद्यतन करना वर्ष 2000 से ही सदस्यों के एजेंडे में रहा है, लेकिन इस दशिा में बहुत कम प्रगति हुई है। MC13 में कृषिवार्ता के दायरे, संतुलन और समयसीमा पर आम सहमतति तक पहुँचने में सदस्य देश एक बार फरि वफिल रहे।
 - यह वफिलता वशिष रूप से **'खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डगि'** (public stockholding for food security purposes) के मुद्दे पर व्यापक असहमति के परिणामस्वरूप हाथ लगी।

वशि्व व्यापार संगठन के अंतरगत भारत की प्राथमक चतिाएँ कया हैं?

- **कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा:**
 - भारत अपने कसिनानों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा पर वकिसति देशों द्वारा अपनाई गई कृषि सब्सिडी और घरेलू सहायता उपायों के प्रभाव को लेकर गंभीर चतिा रखता है।
 - भारत खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डगि पर स्थायी समाधान की आवश्यकता के बारे में मुखर रहा है, ताकि **वकिसशील देशों को व्यापार प्रतबिधों का सामना कयिे बना कृषि उत्पादन पर सब्सिडी देने की अनुमतति मिलि सके।**
 - **कृषि समझौते** (Agreement on Agriculture) पर WTO की समझौता वार्ता के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता मली, जहाँ भारत अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को WTO नयिमों के तहत उत्पन्न चुनौती से बचाने की इच्छा रखता है।
- **बाज़ार पहुँच और गैर-टैरिफि बाधाएँ:**
 - भारत **वकिसति देशों में अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये बेहतर बाज़ार पहुँच** चाहता है। इसके साथ ही भारत गैर-टैरिफि बाधाओं को दूर करने के उपाय भी चाहता है जो उसके नरियात के लिये बाधाकारी हैं।
 - गैर-टैरिफि बाधाएँ—जैसे तकनीकी नयिम, **सवचछता एवं पादप सवचछता उपाय** और प्रतबिधात्मक लाइसेंसगि प्रक्रयिएँ, भारत की नरियात प्रतसिपर्द्धात्मकता को प्रतकिल रूप से प्रभावति करती हैं।
 - भारत ने व्यापार वार्ताओं में एक सतर्क एवं अंशशोधति दृष्टिकोण पर बल दिया है जहाँ **यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन सीमा समायोजन**

तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) जैसे गैर-व्यापार मुद्दों के बारे में चर्चाओं को संबोधित करते हुए WTO संधियों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

■ **बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) व्यवस्था:**


- भारत WTO ढाँचे के भीतर एक संतुलित एवं विकासोन्मुख बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की वकालत करता है। यह सस्ती दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ज्ञान एवं जैव विविधता की रक्षा करने की अपनी क्षमता की रक्षा करना चाहता है।
- इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण **ट्रिप्स समझौते** (TRIPS agreement) पर भारत का रुख है, जहाँ उसने अपनी आबादी के लिये आवश्यक दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये लचीलेपन एवं सुरक्षा उपायों की वकालत की है।

■ **अमेरिका द्वारा भारत की पहलों में बाधा:**

- वे विवाद जनिमें भारत एक शकियतकर्ता या वादी पक्ष है:
 - भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाना
 - गैर-आप्रवासी वीजा के संबंध में अमेरिका के उपाय
 - अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम
 - अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क का अधिरोपण
- विश्व व्यापार संगठन के वे विवाद जनिमें भारत एक प्रतवादी पक्ष है:
 - पोल्टरी और पोल्टरी उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतबिंध पर अमेरिका द्वारा दर्ज शकियत
 - कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान द्वारा दर्ज शकियत।

■ **विशेष एवं विभिन्न उपचार (S&D):**

- भारत WTO समझौतों के सभी क्षेत्रों में **S&D प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल देता है** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देश बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें।
- उदाहरण के लिये, भारत ने वैश्विक व्यापार संबंधों में विषमताओं को दूर करने के लिये टैरिफ कटौती प्रतबिधताओं, व्यापार सुविधा उपायों और विवाद नपिटान प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में विभिन्न उपचार की वकालत की है।



WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि जिस पर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के उरुवे दौर के दौरान बातचीत शुरू हुई; औपचारिक रूप से 1994 में मारकेस, मोरक्को में इसकी पुष्टि की गई वर्ष 1995 में यह संधि प्रभावी हुई

विशेषताएँ

- बाज़ार पहुँच (व्यापार बाधाओं को कम करके कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देना)
- घरेलू सहायता (सब्सिडी बॉक्स को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है)
- निर्यात सब्सिडी (निर्यात सब्सिडी जो व्यापार को विकृत कर सकती है, के उपयोग को कम करना)

सब्सिडी बॉक्स

एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है
 - उदाहरण: खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई जैसी निविष्टियों के लिये सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- एम्बर बॉक्स का उपयोग घरेलू समर्थन के उन सभी उपायों के लिये किया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उत्पादन एवं व्यापार को विकृत कर सकते हैं
 - परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाले घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होना आवश्यक होता है
- जो सदस्य इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना एम्बर बॉक्स समर्थन अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के भीतर रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
 - विकासशील देशों के लिये 10%
 - विकसित देशों के लिये 5%
- भारत का MSP कार्यक्रम जाँच के दायरे में है, क्योंकि यह 10% की सीमा से अधिक है

ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" - विकृति को कम करने के लिये अभिकल्पित
- ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन उसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है
 - इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके अथवा किसानों के लिये अपनी भूमि का एक हिस्सा खाली छोड़ना अनिवार्य करके उत्पादन को सीमित करना है
- वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- घरेलू समर्थन के उपाय जो व्यापार विकृति का कारण नहीं बनते हैं या कम-से-कम विकृति का कारण बनते हैं
- ये सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं
 - इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं
- बिना किसी सीमा के अनुमत (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)



वश्व व्यापार संगठन (WTO) में कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- ववाद नपिटान तंत्र को पुनर्जीवित करना :
 - व्यापार ववादों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये अपीलिय नकिया की कार्यक्षमता को पुनर्बहाल करना अत्यंत आवश्यक है।
 - अपीलीय नकिया में नए सदस्यों की नयिकृता में गतरिध को दूर करने और WTO के ववाद नपिटान तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- दंड के लिये उपयुक्त परावधान:
 - यदि किसी देश ने कुछ गलत कया हो तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिये। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहिये या ऐसी उचित प्रतिक्रिया का सामना करना चाहिये जिसमें कुछ उपचार (remedy) शामिल हो। यह वस्तुतः दंड नहीं है, बल्कि एक 'उपचार' है, जहाँ अंतमि लक्ष्य यह है कि संबद्ध देश नरिणय का पालन करे।
 - ऐसे दोषी देशों को हरति जलवायु कोष (Green Climate Fund) में अनविरय रूप से एक वशेष राशजिमा करने के लिये बाध्य कया जा सकता है।

■ **आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये व्यापार नियमों को अद्यतन करना:**

- डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे उभरते मुद्दों के को संबोधित करने के लिये WTO के नियमों और समझौतों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- यहाँ तात्कालिक सुधारों को नई प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास को सुवर्धन बनाने के लिये व्यापार नियमों को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

■ **S&D प्रावधानों को सुदृढ़ करना:**

- विकासशील और अल्प-विकसित देशों के विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये S&D प्रावधानों की प्रभावशीलता को बढ़ाना आवश्यक है।
- यहाँ तात्कालिक सुधारों का लक्ष्य S&D प्रावधानों को विकासशील देशों के समक्ष वदियमान वशिष्ट आवश्यकताओं एवं चुनौतियों (वशिष्ट रूप से कृषि, IPR एवं सेवा व्यापार जैसे क्षेत्रों में) के प्रति अधिक क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाना होना चाहिये।

■ **व्यापार विकृतियों और सब्सिडी को संबोधित करना:**

- व्यापार-विकृतिकारी अभ्यासों—जिसमें सब्सिडी भी शामिल है जो बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा को विकृत करती है और नष्टिपूर्ण व्यापार को कमज़ोर करती है, को संबोधित करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है,
- यहाँ सुधारों को WTO के सभी सदस्यों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी और सरकारी समर्थन के अन्य रूपों पर नियंत्रण मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

■ **समावेशी नरिणयन को बढ़ावा देना:**

- WTO के भीतर समावेशी नरिणयन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना इसकी वैधता एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।
- यहाँ तत्काल सुधारों को WTO वार्ताओं, समितियों और नरिणयकारी नकियों में विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों सहित सभी सदस्य देशों की अधिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

नष्टिकर्ष

तेज़ी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी वैधता और केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) को दूरदर्शी सुधार करने चाहिये। इसमें सभी सदस्य देशों की आवाज़ के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये समावेशिता को प्राथमिकता देना, आधुनिकीकरण एवं नवाचार के माध्यम से उभरती चुनौतियों एवं अवसरों के प्रति तेज़ी से अनुकूलित होना और हतिधारकों के बीच भरोसा नरिमाण के लिये पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बनाए रखना शामिल है।

अभ्यास प्रश्न: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रसितरीय सम्मेलन की उपलब्धियों एवं वफिलताओं पर वचिार कीजिये। उभरते वैश्विक परदृश्य में इसकी नरितर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये WTO सुधार हेतु रणनीतियों के प्रस्ताव कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लज़' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- खाद्य और कृषि संगठन
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रुपरेखा सम्मेलन
- विश्व व्यापार संगठन
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मलिते हैं? (2016)

- WTO मामला
- SAARC मामला
- UNFCCC मामला
- FTA पर भारत-EU वार्ता

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. "विश्व व्यापार संगठन के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन एवं प्रोन्नत करना है। लेकिन वार्ताओं की दोहा परधि मृत्योन्मुखी प्रतीत होती है, जसिका कारण विकसित तथा विकासशील देशों के बीच मतभेद है। भारतीय परपिरेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन को ज़िंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/tepid-trade-offs-on-the-wto-13th-ministerial-conference>

